

वि "1305-संवैधानिक न्याय के विधि प्रणाली" विभाग

 विधि प्रणाली का प्रशासनिक विभाग का विधि विभाग

 विधि विभाग का प्रशासनिक विभाग का विधि विभाग

 विधि विभाग का प्रशासनिक विभाग का विधि विभाग

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ
 रीताकोर बनाम कश्मीर सिंह वगै०
 राजस्व वाद

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
14.06.2021	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड/साधारण नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.08.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर</p>	
11/8/21 -	<p>पत्रावली पेशा वकील वादी उपस्थित। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड/साधारण नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.08.2021 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर</p>	
27/10/21	<p>उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर</p> <p>उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर</p> <p>उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर</p>	<p>J. No. 265-66 16.11.2021 शिविर दिनांक 29/11/2021</p>
16.11.21	<p>पत्रावली 15/11/21 को पेश हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड/साधारण नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.08.2021 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर</p>	

फर्द अहकाम

आलय..... उपन्याड कृषि कारी मुकाम..... गोविन्दगढ़

शीर्षक..... वनाम..... कश्मीर सिंह
 20 सित 14/4/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
	<p>18.5.22 कृषि कारी मुकाम उपन्याड/प.ओ. साहब शर्मा गोविन्दगढ़ पत्रावली दिनांक 16/6/22</p> <p>16.6.22 कृषि कारी मुकाम उपन्याड/प.ओ. साहब शर्मा गोविन्दगढ़ पत्रावली दिनांक 14.7.22</p> <p>14.7.22 कृष्णा फटीकेन उपन्याड/प.ओ. साहब शर्मा गोविन्दगढ़ पत्रावली दिनांक 25/8/22</p>	
<p>27/7/2022</p>	<p>वकील वादी / प्रणीत उपस्थित / वकील वादी के प्राप्ति पत्र पत्र पत्रावली आज पेश हुई / प्रणीत वादी का न प्राप्ति पत्र पत्रावली निवेदन कि माफिक उनका पक्ष का 17 प्रतिवादी गढ़ से आपस में राजीनामा हो गये हैं। वो दावा न कोई करवाए न ही कल मारने, जवाब का भरण न ही मारने कतर दावा व प्राप्ति 212 R.F.A. (वादी कि माफिक पत्रावली का अन्वय कि माफिक दावा खारिज कि माफिक अन्वय है। अतः दावा वादी का इन्हें अन्वय वादी का खारिज कि माफिक है। पत्रावली फिलहाल अन्वय होकर ही अन्वय करवाए सुनाया।</p>	<p>Reetakuul 27/7/22</p>

उपस्थित अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)